भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5091

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब और तकनीकी गड़बड़ियां

5091. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी, 2026 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अपिव छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंबित और किए गए भुगतानों की संख्या सहित कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) 60:40 अंशदान पैटर्न वाले राज्यों में आधार सत्यापन/सीडिंग त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर □भुगतान विफल" या "प्रक्रियाधीन दिखने वाले मामलों" का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान सहित राज्यों में एनएसपी और राज्य पोर्टलों के बीच तकनीकी समन्वय संबंधी मुद्दों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) लाभार्थियों को शेष केन्द्रीय हिस्सा जारी करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड पर केन्द्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित करता है। 2021-22 से, केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है। केन्द्रीय हिस्से की राशि जारी करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भुगतान किए गए आंकड़ों को साझा करने पर निर्भर करता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि का केन्द्रीय हिस्सा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भुगतान किए गए आंकड़े प्राप्त होने

पर जारी किया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए छात्रों की संख्या और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आधार सत्यापन/सीडिंग त्रुटियों के कारण एनएसपी पर "भुगतान विफल" के रूप में दिखने वाले मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है। राजस्थान राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तकनीकी मुद्दों का एनएसपी के साथ परामर्श से समय पर निराकरण कर लिया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है। छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित करने, उनका सत्यापन और छात्रवृत्ति के संवितरण का कार्य पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय वास्तविक प्रगति की जांच करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय हिस्सा जारी करता है। आवेदनों की संख्या और लंबित भुगतानों की सूचना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए तकनीकी मुद्दों का समाधान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ परामर्श से किया जाता है।

पीएम-यशस्वी की व्यापक योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (डीएनटी) छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू की जाती है। किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए लाभार्थियों की संख्या की सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के प्रस्ताव में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए भुगतान की सूची **संलग्नक-III** में है।

अन्य पिछड़े वर्गों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए एनएसपी और पीएफएमएस टीम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के माध्यम से तकनीकी मुद्दों का समाधान किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसपी में शामिल हैं और किसी भी तकनीकी मुद्दे का समाधान उनके साथ समन्वय करके किया जाता है। मंत्रालय किसी भी तकनीकी या परिचालन संबंधी मुद्दों के उत्पन्न होने पर उनका निराकरणकरने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अनुसार तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्तावों और अपेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जाता है।

'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब और तकनीकी गड़बड़ियां' के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5091, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित संलग्नक

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए छात्रों की संख्या और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शैक्षणिक वर्ष 2025-26*	
		लाभार्थी	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2,53,573	345.84
2	छत्तीसगढ़	40,437	27.11
3	गुजरात	37,815	68.55
4	कर्नाटक	2,34,602	293.14
5	केरल	17,133	8.80
6	मध्य प्रदेश	69,429	55.45
7	महाराष्ट्र	1,42,203	414.28
8	ओडिशा	1,745	1.32
9	पंजाब	41,428	55.85
10	तमिलनाडु	7,35,860	763.61
11	पश्चिम बंगाल	28,666	5.19
कुल योग		**16,02,891**	**2039.13**

स्रोत: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

***19.03.2026 तक**

'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब और तकनीकी गड़बड़ियां' के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5091, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित संलग्नक

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 'आधार नंबर डी-सीडेड' के कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर "भुगतान विफल" के रूप में मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

राज्य	शैक्षणिक वर्ष 2025-26*
	भुगतान विफल
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	1
कुल योग	**2**

स्रोत: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

***19.03.2026 तक**

'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब और तकनीकी गड़बड़ियां' के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5091, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित संलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम यशस्वी व्यापक योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति*

रुपये करोड़ में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रभावी प्रारंभिक स्वीकृति (एमएस)**	**एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)**
1	आंध्र प्रदेश	0.06	0.00
2	बिहार	0.00	138.53
3	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
4	गोवा	0.00	0.00
5	गुजरात	0.00	52.70
6	हरियाणा	0.00	9.45
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
8	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00
9	झारखंड	0.00	4.05
10	कर्नाटक	92.77	0.00
11	केरल	23.13	0.00
12	मध्य प्रदेश	79.16	0.00
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00
14	ओडिशा	0.00	25.00
15	पंजाब	0.00	0.00
16	राजस्थान	0.00	0.00
17	तमिलनाडु	48.74	58.00
18	तेलंगाना	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	0.00	270.00
20	उत्तराखंड	0.00	0.00
21	पश्चिम बंगाल	0.00	15.96
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.28
23	दादरा और नगर हवली, दमन और दीव	0.00	0.50
24	चंडीगढ़	0.00	0.00
25	दिल्ली	0.00	1.72
26	पुडुचेरी	0.00	0.00
27	असम	24.37	0.00
28	मणिपुर	0.00	0.00
29	सिक्किम	1.18	0.44
30	त्रिपुरा	40.41	0.00
	कुल	**309.76**	**576.63**

*19.03.2026 तक
